न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)राज0
पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद (आई.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 681/2008
किस्म प्रकरण :– दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 04.01.2022

1. बीरबल पुत्र जवाली जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. विजय पुत्र जवाली मृतक
2/1 कल्यानसिंह पुत्र विजयसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर(राज0)
2/2 गब्बर पुत्र विजयसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2/3 गीता पुत्री विजयसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2/4 अमरवती पुत्री विजयसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2/5 कुसूम पुत्र विजयसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2/6 सितारा पत्नि विजयसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3. समयसिंह पुत्र जवाली चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4. कलुआ पुत्र रत्ती मृतक
4/1 बुद्धी पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4/2 पप्पू पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4/3 अशोक पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4/4 दिनेश पुत्र कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4/5 तारावती पुत्री कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4/6 विमलेश पुत्री कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4/7 अगूरी पत्नि कलुआ जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5. सुरेश पुत्र मानसिंह मृतक
5/1 दीपक पुत्र सुरेश नाबालिगान बली सरपरस्त माता खुद हेमा बेवा सुरेश जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5/2 विकास पुत्र सुरेश नाबालिगान बली सरपरस्त माता खुद हेमा बेवा सुरेश जाति चौबदार निवास अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5/3 हेमा पत्नि सुरेश जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
6. महेश पुत्र मानसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
7. साहबसिंह पुत्र मानसिंह जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0
8. सूखा पुत्र रत्ती मृतक
8/1 किशन पुत्र सेखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8/2 सरदार पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8/3 मुकेश पुत्र सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8/4 ढकेली बेवा सूखा जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. नत्थी पुत्र गैदा मृतक
1/1 जावित्री पुत्री नत्थी जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
1/2 पूरनमल पुत्रीनत्थी जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
1/3 समन्दरसिंह पुत्र नत्थी जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
1/4 श्यामसुन्दर पुत्र नत्थी जाति चौबदार निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

–प्रतिवीगण

2. तहसीलदार नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपस्थिति अधिवक्ता श्री रामकिशन पूनिया (वादीगण की और से)
श्री अशोक कुमार बिहारिया (प्रति की और से)

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। :–

1. यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी वाद के लिए सक्षम है। वादीगण स. 5 व 6 भी पूर्णबालिग हो चुके है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल बन्दोबस्ती ख0न0 3000 रकवा 0.29 व 3001 रकवा 0.11 व 3002 रकवा 0.13, व 3003 रकवा 0.87 किता 4 कुल रकवा 1.40 हैक्टर वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई स्थित है। जिसके इन्द्रजात वादीगण स. 1 से 7 व प्रतिवादीगण स. 1 के नाम गलतरूप से दर्ज रैवन्यू हो रहे है।
3. यह है कि उपरोक्त आराजी वाद पत्र खसरा नम्बर 2155 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा से निर्मित किया है। जिसका संवत 2028 से पूर्व का साबिक खसरा नम्बर 1650 रकवा 9 बीघा था। जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 की खरीद शुदा आराजी है।
4. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1650 रकवा 9 बीघा मुताबिक जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में वादीगण स0 1 लगायत 3 के पिता ज्वाली हिस्सा 1/3, प्रतिवादी स. 1 हिस्सा 1/3 व वादीगण स. 4 लगात 8 तथा वादीगण स. 5 लगायत 7 के पिता मानसिंह हिस्सा 1/3 वा हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार दर्ज थे। जिससे भू. प्रबंध विभाग संवत 2028 द्वारा दो खसरा नम्बर 2154 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा जिसके इन्द्राजात गलत रूप से प्रभूदयाल पुत्र नत्थी जाति जाट के नाम दर्ज कर दिये। जिनकी दुरूस्ती पूर्व अनुसार करा ली गयी है लेकिन दूसरे ख0न0 2155 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा की प्रविष्टिया भी भू. प्रबंध संवत 2028 द्वारा प्रतिवादीगण स. 1 के नाम हिस्सा 1/3 के बजाय 1/2 तथा संवत 2028 द्वारा प्रतिवादी स. 1 से 3 के बजाय 1/4 व वादीगण स. 4, 5,6 के पिता मानसिंह के हिस्सा 2/9 के बजाय हिस्सा 1/4 तथा वादी स. 8 का नाम हिस्सा 1/9 दर्ज ही नही किया लिहाजा भू. प्रबंध विभाग संवत 2028 को पूर्व इन्द्राजात के विपरित वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 के नाम इन्द्राजात बदलने को कोई हक कानूनी अधिकार हांसिल नही थां। तथा जो अधिक हिस्से के इन्द्राजात व हक प्रति स. 1 दर्ज किये गये है व मुकाबले वादीगण बातिल व बेअसर है। वादी वजह पूर्व इन्द्राजात के मुताबिक आराजीवाके ग्राम अरौदा पर वादीगण स. 1 लगायत 3 हिस्सा 1/3 वा हिसरा बराबर वादी सं. 4 हिस्सा 1/9 वादीगण सं. 5 लगात 7 हिस्सा 1/9 वा हिस्सा बराबर तथा वादी सं. 8 हिस्सा 1/9 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा वर्तमान इन्द्राजात वहक वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 बातिल कलमजन के है। शेष हिस्सा 1/3 प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज रहे।
5. यह है कि आराजी वाके गाम अरौदा पर प्रति. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात के आधार पर उसने वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने व दीगर व्यक्तियो को रहन बय मुन्तकिल करने की धमकी दिनांक 06.11.2008 को मुकाम अरौदा पर दीगई। उक्त दी गई धमकी में कायमयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नगद ना हो सकेगी। इसलिए वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दकरा पाने का अधिकारी है कि आराजी को रहन बय मुन्तकिल नही करे तथा आराजी रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखें।
6. यह है कि वा वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावे कि आराजी वाद पत्र वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई पर मुताबिक पूर्व इन्द्राजात भू. प्रबंध विभा संवत 2028 वादीगण सं. 1 लगायत 3 हिस्सा 1/3 वा हिस्सा बराबर वादी स. 4 हिस्सा 1/9 व वादी स. 5 लगायत 7 हिस्सा 1/9 वा हिस्सा बराबर, वादी स. 8 हिस्सा 1/9 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें शेंष इन्द्राजात व हक वादीगण स. 1 लगायत 7 व प्रतिवादी स. 1 को कलमजन किया जावें। तथा प्रतिवादीको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे आराजी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:18 IST
Reason: SelfAttested

7. दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण स. 1 की और से श्री अशोक कुमार एड़वोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी स. 2 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी स. 1 की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में निम्नांकित तथ्यो का उल्लेख किया गया जो इस प्रकार है :–
   1. यह है कि दावा के मंद स. 1 स्वीकार है।
   2. यह है कि दावा के मंद स. 2 का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है।
   3. यह है कि दावा कि मंद स. 3 जिस प्रकार वर्णित कि गई है स्वीकार नही है। साबिक खसरा नम्बर 1650 का रकवा 13 बी.था जिससे खन0 2154 व 2155 बने है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 की खरीद शुदा आराजी है।

8

Scanned with CamScanner

4. यह है कि दावा कि मंद स. 4 का कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है आराजी वादीगण व प्रतिवादी स. 1 की खरीद शुदा आराजी है जो महाराजा मानसिंह से खरीद व इनाम से प्राप्त की है। वादीगण व प्रतिवादीगण आराजी पर शुरू से आज तक इसी कदर काबिज चले आ रहे है। बंदोबस्त संवत 2028 के पूर्व में भी वादीगण आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि एवं प्रतिवादी स. 1 आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। बदोबस्त कर्मचारिये के द्वारा पक्षकारान के मौके पर कब्जे अनुसार ही खातेदारी व काश्तकारी के इन्द्राजात किये गये है। जो गत 40 साल से बदस्तूर चले आ रहे है। तथा वादीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजी को समय–समय पर बैंक रहन किया जाता रहा है। अब वादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है। जिससेवादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध झूठा दावा किया जो काबिज खारिज के है।

5. यह है कि दावा कि मंद स. 5 स्वीकार नही है। आराजी वादीगण निस्फ हिस्से के व प्रतिवादी स. 1 निस्फ भूमि का खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादी स0 1 आराजी की निस्फ भूमि पर राजा मानसिंह के समय से ही काबिज चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखली करने कि कोई धमकी नही दी गई है।

6. अतिरिक्त कथन यह है कि आराजी वादीगण के पूर्वज व प्रतिवादीगण की खरीद शुदा आराजी है। जो कि राजा मानसिंह से खरीद व ईनाम में प्राप्त हुई है। आराजी मुताबिक निस्फ भूमि पर वादीगण व निस्फ भूमि पर प्रतिवादीगण स. 1 शुरू से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। एवं बंदोबसत संवत 2028 के पूर्व से ही आराजी में निस्फ भूमि पर प्रतिवादीगण स. 1 का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। बंदोस्त कर्मचारियो ने राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जे के अनुसार प्रतिवादी स. 1 की खातेदारी इन्द्राजात दर्ज कर दिये जो कि नियमानुसार इन्द्राजात सही है। और प्रतिवादी 1 को कानून हक खातेदारी प्राप्त है। वादीगण द्वारा समय समय पर उक्त आराजी को रहन भी रखा गया है। आराजी वर्तमान इन्द्राजात का ज्ञान गत बंदोबस्त सं 2028 से ही रहर है। अत दावा झूठा किया गया है काबिल खारिज के है।

7. यह है कि वादीगण संवत 2028 बंदोबस्त से वर्तमान इन्द्राजात पटवार कागजात ज्ञान रहा है।

8. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 1650 से बने खसरा नम्बर 2154 के बाबत् सन 1961 से दावा में पक्षकार रहे है। व राज0 उच्च न्यायालय तक से वाद प्रतिवादी के हक में निर्णित हुऐ है। जिससे दावा वादीगण चलने योग्य नही है।

8. वादीगण के वाद पत्र के तथ्यो एवं प्रतिवादी सं. 1 के जबाब दावा के अभिवचनो के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई । जो इस प्रकार है।

1. आया विवादित आराजी वादीगण की संवत 2028 से पूर्व खरीद शुदा है जिसके खातेदारी प्रविटिष्टया वादीगण के पूर्वजो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
   –जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण बन्दोबस्त के दौरान की गई गलती को दुरूस्त कराकर अपने नाम हिस्सा अनुसार घोषणा करापाने के मुस्तक है। –जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी है। – जिम्मेवादीगण
4. आया विवादित आराजी प्रतिवादी स. 1 के पूर्वजो द्वारा खरीदी गई आराजी है। जो राजा मानसिंह से ईनाम में प्राप्त हुई है। – जिम्मेप्रतिवादीगण
5. आया बन्दोबस्त इन्द्राज सही है प्रतिवादी स. 1 बन्दोबस्त से पूर्व से ही विवादित आराजी के निष्फ हिस्से पर काबिज है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजत सही है।
   – जिम्मेप्रतिवादीगण

9. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2065–2062 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श–1, नकल मि[illegible]ल संवत 2028 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श–2, नकल जमाबंन्दी संवत 2035–2038 वाके [illegible] प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम अरौदा प्रद[illegible] नकल जमाब[illegible]वत 2061–2064 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श–5, नकल जमाबंन्दी संवत [illegible], इसके अलावा असल बयनाम श्रमति रानीसाहिबा, नकल जमाबन्दी संवत 2015–[illegible] वाके ग्राम अरौदा, नकल जमाबंन्दी संवत 2019–2022 वाके ग्राम अरौदा पेश किये गये।

10. वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में मौखिक ब्यान के रूप में जलसिंह पुत्र बीरबल जाति चौबदार निवासी अरौदा पेश किया गया जिनसे जिरह प्रतिवादीगण द्वारा कि गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

11. प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में मौखिक ब्यान के रूप में समन्दर पुत्र नत्थी जाति चौबदार निवासी अरौदा पेश किया गया जिनसे जिरह वादीगण द्वारा कि गई।

12. हमने बहस उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो कि सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड दस्तावेजातो का अवलोकन किया गया । निर्णय तनकीवार इस प्रकार है:-

1. आया विवादित आराजी वादीगण की संवत 2028 से पूर्व खरीद शुदा है जिसके खातेदारी प्रविटिष्टया वादीगण के पूर्वजो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। —जिम्मेवादी

2. आया वादीगण बन्दोबस्त के दौरान की गई गलती को दुरुस्त कराकर अपने नाम हिस्सा अनुसार घोषणा करापाने के मुस्तक है। क्त गलत इन्द्राजात प्रति स. 1 को 1/2 का खातेदार दर्ज किया गया हो। —जिम्मे वादीगण

तनकी स. 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत संवत 2061—2064 वाके ग्राम अरौदा प्रदर्श—5 पेश कि गई जिसमें ख0न0 3000, 3001, 3002, 3003, पर नत्थी पुत्र गेंदा 1/2 बीरबल विजय समैसिंह पि. जवाली 1/4, कलुआपुत्र रती 1/8 ,सुरेश,महेश पित्र मानसिंह नाबालिग वली सरपरस्त माता सरूपी बेवा मानसिंह सहबसिंह पुत्र मानसिंह 1/8 कौम चौबदार सा. दे हके रूप में खातेदारी का अंकन हो रहा है। इन खसरा नम्बरान हाल साबिक नकल जमाबंन्दी संवत 2060 कु अपुसार 2155 मिन 5 बीघा 4 बिस्वा से बना है। तथा ख0न0 2155 से बना प्रदर्श 4 से साबित है तथा 2155 मिन नकल जमाबंन्दी संवत 2028 के अनुसार 1647 व 1650 नम्बर बने है। जो कि नकल प्रदर्श 2 से साबित है। इसके अलावा वादीगण द्वारा नकल जमाबंन्दी संवत 2015—2018 वाके ग्राम अरौदा, नकल जमाबंन्दी संवत 2019—2022 वाके ग्राम अरौदा पेश कि गई जिसमें ख0न0 1650 रकवा 9 बीघा का है जिस पर वादीगण के पिता नथ्यि वल्द गेंन्दा की 1/3 हिस्से पर तथा वादीगण स. 2 लगात 8 की 1/3 हिस्से पर खातेदारी का अंकन है जो कि प्रदर्श 1 से साबित है तथा जिससे भू. प्रबंध विभाग संवत 2028 द्वारा दो खसरा नम्बर 2154 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा जिसके इन्द्राजात गलत रूप से प्रभूदयाल पुत्र नत्थी जाति जाट के नाम दर्ज कर दिये। जिनकी दुरूस्ती पूर्व अनुसार करा ली गयी है लेकिन दूसरे ख0न0 2155 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा की प्रविष्टिया भी भू. प्रबंध संवत 2028 द्वारा प्रतिवादीगण स. 1 के नाम हिस्सा 1/3 के बजाय 1/2 तथा संवत 2028 द्वारा प्रतिवादी स. 1 से 3 के बजाय 1/4 व वादीगण स. 4, 5,6 के पिता मानसिंह के हिस्सा 2/9 के बजाय हिस्सा 1/4 तथा वादी स. 8 का नाम हिस्सा 1/9 दर्ज ही नही किया लिहाजा भू. प्रबंध विभाग संवत 2028 को पूर्व इन्द्राजात के विपरित वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 के नाम इन्द्राजात बदलने का सैटिलमेन्ट विभाग को अधिकार नही है। जबकि उक्त इन्द्राजात पूर्व के इन्द्राजात अनुसार ही खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। उक्त यह आराजी वादीगण के पिता नथ्यि वल्द गेंदा व जवाली वल्द गंगाधर न जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03.08.1957 श्रीमति रानीसाहिबा से क्रय कि गई थी। जो वादी द्वारा प्रस्तुत असल बयनामा से साबित है। तथा वादीगण द्वारा जलसिंह पुत्र बीरबल जाति चौबदार निवासी अरौदा के ब्यान पेश किया गया जो वाद पत्र को समर्थन करता है। इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया। अत तनकी स. 1 व 2 वादीगण के हक में व प्रतिवादी के विरोद्ध मे तय कि जाती है।

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी है उक्त तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण का था तनकी स. 1 व 2 के निर्णय अनुसार वादीगण प्रतिवादीण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का मुसतक है। अत उक्त तनकी वादी के हक व प्रति के खिलाफ तय कि जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:18 IST
Reason: SelfAttested

4. आया विवादित आराजी प्रतिवादी स. 1 के पूर्वजो [illegible] खरीद [illegible] गई आराजी है। जो राजा मानसिंह से ईनाम में प्राप्त हुई है। उक्त तनकी को सिद्ध करने [illegible] प्रतिवादीगण का था परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत असल बयनाम [illegible] रानीसाहिबा से क्रय कि गई आराजी है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी [illegible] नही किया गया । अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है

5. आया बन्दोबस्त इन्द्राज सही है प्रतिवादी स. 1 बन्दोबस्त से पूर्व से ही विवादित आराजी के निष्फ हिस्से पर काबिज है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजत सही है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार कोई दस्तावेजात खसरा गिरदावरी व काबिज काश्त बाबत पेश नही किये गये। अत उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है।

Scanned with CamScanner

13. उपरोक्त तनकीवार निर्णय साबित है कि सैटिलमैट विभाग द्वार वादीगण के इन्द्राजात गलतरूप से अंकन किया गया है जो काबिल दुरूस्त योग्य है।अत वादीगण का वाद पत्र काबिल डिक्री किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

अतः आदेश है कि वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर हाल बन्दोबस्ती ख0न0 3000 रकवा 0.29 व 3001 रकवा 0.11 व 3002 रकवा 0.13, व 3003 रकवा 0.87 किता 4 कुल रकवा 1.40 हैक्टर वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई स्थित है पर मुताबिक पूर्व इन्द्राजात भू. प्रबंध विभा संवत 2028 वादीगण सं. 1 लगायत 3 हिस्सा 1/3 वा हिस्सा बराबर वादी स. 4 हिस्सा 1/9 व वादी स. 5 लगायत 7 हिस्सा 1/9 वा हिस्सा बराबर, वादी स. 8 हिस्सा 1/9 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेंष इन्द्राजात हिस्सा 1/3 प्रतिवादी सं. 1 के नाम बदस्तूर रहे तथा वर्तमान इन्द्राजात व हक वादीगण स. 1 लगायत 7 व प्रतिवादी स. 1 को कलमजन किया जावें। तथा प्रतिवादीको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे आराजी में मदाखलत मजाहमत ना करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आजा दिनांक 04.0.2022 को सर इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावंली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Junaid

मुहम्मद जुनैद
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner